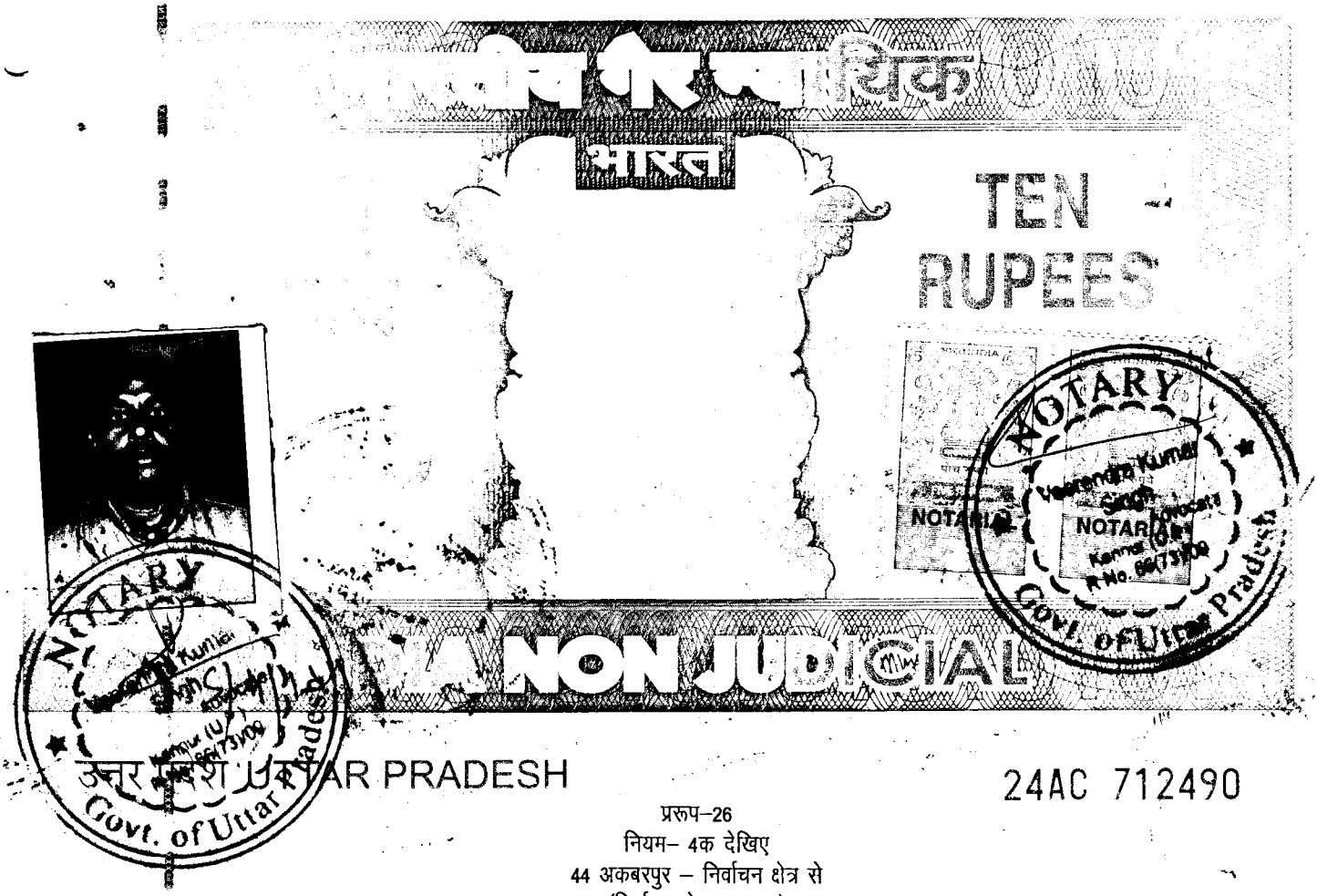

24AC 712490

प्ररूप–26
नियम– 4क देखिए
44 अकबरपुर – निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोकसभा–2014 (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग– क

मैं **ओमकार नाथ पुत्र श्री बाबू राम आयु–47 वर्ष जो कौरू मिर्जापुर कला, पोस्ट–सन्दलपुर कानपुर देहात** (डाक का पूरा पता लिखे) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ /करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ –

1– मैं **अलहिन्द पार्टी** (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है। (जो लागू न हो उसे काट दें)

2– मेरा नाम 207 **सिकन्दरा** (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग संख्या– **191** के क्रम संख्या–**594** पर प्रविष्ट है।

3– मेरा सम्पर्क टेलीफोन नम्बर–**09651174494** है/ है मेरा ई–मेल आई0डी0 **omkatiyar @ yahoo.com** है।

4– स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय–कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :–

क्रम संख्या–	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अन्तिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	आकर विवरणी उपदर्शित कुल आय (रूपये में)
1–	स्वयं ओमकार नाथ	आवेदन किया है	लागू नहीं	लागू नहीं
2–	पत्नी–डा0 विनीता कटियार	CDSPK8107R	2013–14का उनके विभाग द्वारा सम्पन्न	ज्ञात नहीं
3–	आश्रित –1	लागू नही	लागू नही	लागू नही
4–	आश्रित–2	लागू नही	लागू नही	लागू नही
5–	आश्रित –3	नही	नही	नही

3– मै ऐसे किसी लम्बित मामले में दो वर्ष या अधिक से कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों)का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षग अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किये गये है।
यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों)का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/ करेगी–

क– निम्नलिखित गामला(मागले) मेरे विरूद्ध लम्बित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय ,द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किये गये हैं।

NOatiyar

4028 29-03-14

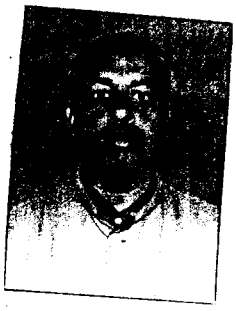

प्ररूप-26
(नियम 4क देखिए)

54- अकबरपुर निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

लोकसभा - 2014 (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग–क

मैं ओमकार नाथ **पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री बाबूराम
आयु 47 वर्ष, जो कोठी मलहिया नका, अकबरपुर कानपुर देहात (डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ :–

(1) मैं आम आदमी पार्टी (**राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी **एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ
(**जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम 207 Akbarpur (निर्वाचन–क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं0 191 के क्रम सं0 594 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं0 09651174494 है/हैं और मेरा ई–मेल आईडी (यदि कोई हो तो) omkatiyar@yahoo.com है।

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय–कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं0	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रूपए में)
1	स्वयं आवेदन किए है कृपया से.	55215897-	लागू नही	लागू नही
2	पति या पत्नी श्री० विनीता कटियार	CDSPK8107R	2013-14से हमारे विभाग द्वारा लिया	लागू नही
3	आश्रित–1 सुश्री निवेदिता सिंह	लागू नहीं	लागू नही	लागू नही
4	आश्रित–2	नही	नही	नही
5	आश्रित–3	नही	नही	नही

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।
यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी–

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरूद्ध लंबित हैं जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए है।

NOTARY Veerendra Kumar Singh Advocate Kanpur Nagar R No. 66/173/2007 Uttar Pradesh

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	नहीं
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है।	नहीं
(ग)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(घ)	न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	नहीं
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे।	नहीं
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	नहीं

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है (पूर्वोक्त मद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न) :–

(क)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	नहीं
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे जहाँ न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	नहीं
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्यौरे	नहीं

(iii) मुझे किसी अपराध (अपराधों) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा–(1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा, (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी समुचित रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है।

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	नहीं
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	नहीं
(ग)	अधिरोपित दंड	नहीं
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई है/है। यदि हाँ, तो अपील के ब्यौरे	नहीं

NOTARY

(7) मै मेरे / मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. मेरे जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— जमा / विनिधान की दशा में क्रम सं0, रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक / संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने है।

टिप्पण 3— सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों / शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4— यहाँ आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व, अधिनियम की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5— रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्र0 सं0	विवरण	स्वयं	पति / पत्नी	आश्रित—1	आश्रित—2	आश्रित—3
(i)	हाथ में नकदी	3000/-	ज्ञात नही	नही	नही	नही
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	1329.58 पेंशन खाता SBI- IIT Delhi 10773677217 एवं 5000.00 बैंक आफ बड़ौदा नयाखाता	ज्ञात नही	नही	नही	नही
(iii)	कंपनियों / पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों / शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	ज्ञात नही	नही	नही	नही
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	ज्ञात नही	नही	नही	नही
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण / अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम	शून्य	ज्ञात नही	नही	नही	नही
(vi)	मोटरयान / वायुयान / यांट / पोट (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	नही	नही	नही	नही
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएँ) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	ज्ञात नही	नही	नही	नही
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों / हित का मूल्य	शून्य	नही	नही	नही	नही
(ix)	समग्र कुल मूल्य	9329.58	ज्ञात नही	नही	नही	नही

NOTARY Veerendra Kumar Singh Advocate Govt. of Uttar Pradesh

ख. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण-1 -संयुक्त स्वामित्व की सीमा को प्रदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण-2-प्रत्येक भूमि या भवन आपर्टमेन्ट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र0 सं0	विवरण	स्वयं	पत्नी या पति	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
1	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण..... संख्यॉक (संख्यायें)	01	नही	नही	नही	नही
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	2 एकड़ लगभग	नही	नही	नही	नही
	क्या विरासत आई संपत्ति है। (हाँ या नहीं)	हाँ	नही	नही	नही	नही
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नही	नही	नही	नही	नही
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	नही	नही	नही	नही	नही
	विकास सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	नही	नही	नही	नही	नही
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	10 लाख रु.	नही	नही	नही	नही
	गैर कृषि भूमि अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण..... संख्यांक (संख्याऐं)	शून्य	नही	नही	नही	नही
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	नही	नही	नही	नही
	क्या विरासत आई संपत्ति है। (हाँ या नहीं)	शून्य	नही	नही	नही	नही
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	नही	नही	नही	नही
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	नही	नही	नही	नही
	विकास सन्निर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	नही	नही	नही	नही
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	नही	नही	नही	नही
	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण..... संख्यांक (संख्याऐं)	शून्य	नही	नही	नही	नही
	क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	नही	नही	नही	नही
	निर्मित क्षेत्र (वर्गफुट में कुल माप)	शून्य	नही	नही	नही	नही
	क्या विरासत आई संपत्ति है। (हाँ या नहीं)	शून्य	नही	नही	नही	नही
	स्वार्जित सम्पत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	नही	नही	नही	नही
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	नही	नही	नही	नही
	विकास सन्निर्माण आदि के माध्यम से सम्पत्ति पर कोई विनिधान	शून्य	नही	नही	नही	नही
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	नही	नही	नही	नही

NOTARY
Veerendra Kumar Singh
Advocate
Kanpur (U.P.)
R No. 66(73)/09
of Uttar Pradesh

(iv)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियां) सर्वेक्षण संख्यांक (संख्याऐं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्या विरासत में आई संपत्ति है। (हाँ या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(v)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(vi)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	10 लाख रु.	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों / को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ
(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें।)

क्र0 सं0	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
(i)	बैंक / वित्तीय संस्था (संस्थाओं) को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(ii)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	टेलीफोन / मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

NOTARY Virendra Kumar Singh Advocate Kanpur (U.P.) Govt. of Uttar Pradesh

	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	आय–कर शोध्य	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	धनकर शोध्य	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	सेवाकर शोध्य	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	नगरपालिका / संपत्ति कर शोध्य	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	विक्रय कर शोध्य	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iii)	सभी सरकारी शोध्य का कुल योग	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो संतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

(9) वृत्ति या उपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं पेंशन (सेना) (ख) पति या पत्नी सरकारी अधिकारी डायरेक्टर (डम्ह)

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिए अनुसार है :

एम॰ ए॰ (अर्थशास्त्र) एम॰ ई॰ पी॰ एच॰ डी॰ (पेन्शन विज्ञान) डी॰ लिट॰ आईसीएसएसआर अध्ययनवेतन

ई॰ जे॰ डी॰ जी॰ डी॰ डी॰ डी॰ डी॰ आर॰

(प्रमाण पत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें।)

भाग–ख

(11) भाग–क के (1) से (10) तक में दिए गए ब्यौरों का उद्धरण

1.	अभ्यर्थी का नाम	श्री / श्रीमती / कुमारी डा॰ ओमकार नाथ कठियार
2.	डाक का पूरा पता	कौरा मिर्जापुर पो॰ चन्दलपुर कानपुर देहात
3.	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	54 - अकबरपुर उ॰प्र॰
4.	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा 'स्वतंत्र' लिखें)	अखिल-इंडिया
5.	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	नहीं
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (ऊपर मद (i) उल्लिखित मामलों से भिन्न)	नहीं
6.	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिये कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 की उपधारा (1) उपधारा (2) या उपधारा (3) में निविष्ट अपराधों के सिवाएं)	नहीं

Veerendra Singh Advocate Kanpur R.No. 6617/08

M Katiyar

7.		..... का स्थायी लेखा सं0 कूपन संख्या	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दर्शित आय
	(क) अभ्यर्थी आवेदन किया है	552158897	लागू नहीं	लागू नहीं
	(ख) पति या पत्नी डॉ० विनीता कटियार	CDSPK8107R	वर्ष 2013-14 में उनके विभाग द्वारा सम्पन्न	ज्ञात नहीं
	(ग) आश्रित	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

8. आस्तियां और दायित्व के ब्यौरे (रूपए में)

		विवरण	स्वयं	पति / पत्नी	आश्रित–1	आश्रित–2	आश्रित–3
क		जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
ख		स्थावर आस्तियां	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(i)	स्वार्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ii)	क्रय के पश्चात स्थावर संपत्ति की विकास / सन्निर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(iii)	अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
		(क) स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
		(ख) विरासती आस्तिॉ (कुल मूल्य)	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
9.		दायित्व	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है।	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

11. उच्चतम शैक्षिक अर्हता : एम. ए. (अर्थशास्त्र), एम. ए., पी. एचडी (सैन्यविज्ञान) ग्वालियर (प्रमाण पत्र / डिप्लोमा / डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय / विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था का ब्यौरा दें।) डी. लिट. (अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (जे. एन. यू.) डी. जी., डी. जे०, पी. जी. डी. पी. आर. (दिल्ली - भारतीय विद्या भवन)

NOTARY
Veerendra Kumar Singh
Advocate
Kanpur (U.P.)
R No. 66(73)/09
Govt. of Uttar Pradesh

Veerendra Kumar Singh Advocate Kanpur R No. 8/4/14 Govt. of Uttar Pradesh

सत्यापन

मैं ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय–वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :–

(क) मेरे विरूद्ध ऊपर भाग क और भाग ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है।

(ख) मेरे पति या पत्नी या मेरे आश्रितों की पाद ऊपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद, 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

Sworn before me this ... by Shri ... Contents of this affidavit have been read over and explained who is duly identified by Sri/Smt

आज तारीख ..... को सत्यापित किया गया।

VEERENDRA KUMAR SINGH (Advocate) U P Govt Notary, Kanpur Court U P

MANZOOR AHMAD KHAN ADVOCATE NEAR SOLDER BOARD GATE COURT KANPUR

अभिसाक्षी

टिप्पण 1 : शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2 : शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3 : सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़ें, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है, तो, यथास्थिति "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 : शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ–साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का आ 859, तारीख 15 अप्रैल, 1961 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम बार निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किया गया–

(1) संख्यांक का आ, 728(अ), तारीख 3 मई, 2007।

(2) संख्यांक का आ, 425(अ), तारीख 23 फरवरी, 2011।

टिप्पण 5 : अभ्यर्थियों द्वारा अधूरा शपथ–पत्र दाखिल करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सीविल) वर्ष 2008 की सं0 121–रिसरजेंस इण्डिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य में दिए गए दिनांक 13.09.2013 के निर्णय के अनुपालन में अभ्यर्थियों द्वारा सभी कॉलम भरे जाने आवश्यक है। किसी भी कॉलम को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ–पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग अधिकारी को यह जांच करनी होती है कि नामांकन पत्र के साथ दाखिल किए गए शपथ–पत्र के सभी कॉलम भरे हुए है। यदि नहीं तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को खाली कॉलमों में सूचना प्रस्तुत करने के लिए एक अनुस्मारक देंगे। माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी मद में प्रस्तुत करने के लिए कोई सूचना नहीं है तो ऐसे कॉलमों में यथोचित टिप्पणी जैसे : 'शून्य' या 'लागू नहीं होता' या 'ज्ञात नहीं है', जैसा भी है। उपयुक्त टिप्पणी दर्शाई जाएगी। उन्हें कोई कॉलम रिक्त नहीं छोड़ना है। यदि अनुस्मारक देने के बावजूद कोई अभ्यर्थी खाली कॉलम भरने में असमर्थ रहता है तो नामांकन पत्रों की जांच के समय रिटर्निंग अधिकारी द्वारा ऐसे नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

टिप्पण 6 : शपथ–पत्र के पैरा 3 में सूचना निम्नलिखित अनुसार उपलब्ध कराई जानी चाहिए–

"मेरा टेलीफोन नं0 09651174494 है/हैं,

मेरा ईमेल आई डी (यदि कोई हो) Omkatiyar@yahoo.com है,

और मेरा सोशल मीडिया एकाउन्ट (यदि कोई हो) Facebook at yahoo Link हैं।"